

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर
राजस्व वाद 98/2022(2022/364)

- 1 भदरलाल पुत्र श्री माधु कुमावत।
 - 2 श्रीमती शमकु पत्नी श्री माधु कुमावत।
 - 3 मनोहर पुत्र श्री माधु कुमावत।
 - 4 मूलचन्द पुत्र श्री माधु कुमावत।
 - 5 दिनेश पुत्र श्री रामलाल कुमावत।
 - 6 पूलचन्द पुत्र श्री रामलाल कुमावत।
- तपाम जाति कुमावत निवासीगण शेषपुरा तहसील केकड़ी जिला अजमेर।

---प्रार्थीगण

♣ बनाम ♣

- 1 श्रीमान तहसीलदार साहब केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर।

--- अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राज. लेण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थित:-

प्राथी वकील :- श्री सिद्धार्थ सिंह

पैराकार सरकार :- जरिये तहसीलदार केकड़ी

आदेश

दिनांक 21.7.2022

पत्रावली आज न्यायालय में पेश हुई। प्रार्थीगण द्वारा संक्षेप में राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लेण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात वाके ग्राम शेषपुरा तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित है। आराजी की जमाबंदी संवत 2070-73 में दर्ज अंकन निम्नानुसार दर्ज रिकॉर्ड है।

खाता संख्या (नया-पुराना)	खसरा नम्बर	रकबा (है.)	किस्म
128-125	728	3.07	चाही 2 खड़डा
	कुल किता 1	रकबा 3.07	

उक्त में वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण की कब्जे काश्त स्वामित्व आधिपत्य की आराजीयात है जिसमे प्रार्थीगण का बतोर खातेदार काश्तकार दर्ज है प्रार्थीगण का कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा हैं। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण के नाम बतोर खातेदार काश्तकार के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा अपने कृषि आराजीयात में सुधार कार्य व तारबंदी करवाना चाहते हैं जिसके लिए खातेदारी से स्थायी पत्थरगढ़ी होकर सीमांकन हो जाये तो खेत पडोस व अन्य खातेदार से किसीप्रकार विवाद नहीं हो इसलिए प्रार्थीगण अपने कृषि आराजीयात पर पत्थरगढ़ी करवाना चाहते हैं। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी के कार्यालय में दिनांक 4.4.2022 को उक्त आराजी की स्थायी पत्थरगढ़ी करने का निवेदन किया तो अप्रार्थी ने श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा इसलिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना लाजमी आया है प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात का हिस्से अनुसार स्थायी पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायोचित है जिससे की अन्य खातेदारो व अन्य पडोसीयो से किसी प्रकार का मौके पर विवाद उत्पन्न नहीं हो। इसलिए आराजी




उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

की स्थायी पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान करवाया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। अतः स्थायी पत्थरगढी कराने का निवेदन किया।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी जरिय पैरोकार सरकार तहसीलदार केकडी को जरिये नोटिस तलब किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा जवाब टिप्पणी जिसमे बताया संलग्न जमाबंदी प्रतिलिपि अनुसार वाद वर्णित आराजी खातेदार भूमि है राजहित प्रभावित नहीं है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू.रा.अधि. के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकडी वाके ग्राम शेषपुरा तहसील केकडी के खाता संख्या नया पुराना 128-125 के खसरा संख्या 728, रकबा 3.07 हैक्टर, की पत्थरगढी प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिक्केन अपनः अपना वहन करें।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।


(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

